न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा जिला–उदयपुर (राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :श्री माधव भारद्वाज (IAS)

प्रकरण संख्या:– 04/2023

दायर दिनांक :– 13.01.2023

1.श्री मरता पिता हलिया, जाति– भणात (भील), निवासी– उपला फला ,खाण्डी ओबरी,तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

–– अप्रार्थी –

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित : 1. श्री अनिल नायक , अधिवक्ता प्रार्थी।
2. तहसीलदार खेरवाडा, ,अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक:–21/11/2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी को सिमान्त निर्धन कृषक होने से सन् 1977 मे राजस्व ग्राम परबीला तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित साबिक आराजी भूमि संख्या 1003 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसको लेकर नामांतरण कार्यवाही अमल में लाई गई जिसके नामांतरण संख्या 76 हो दिनांक 26/10/1977 को स्वीकृत किया गया। प्रार्थी को भूमि आवंटन उपरांत सवंत 2034 से 2037 विक्रमी जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बहक गैर खातेदार दर्ज किया गया।

उक्त के बाद सेटलमेन्ट कार्यवाही अमल मे लाने के बाद प्रार्थी की आवंटित भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज न कर बिलानाम सरकार के खाते पर दर्ज की गई। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि को नये दर्ज किये गये हाल आराजी संख्या 1624 रकबा 2.26 हे. भूमि में सम्मिलित कर दिया जबकि उन्हे चाहिये था कि प्रार्थी को आवंटित तथा साबिक रेकार्ड मे बाद आवंटन दर्ज वह नम्बर 1024/1023 के क्रम से नये नम्बर दर्ज करे।

प्रार्थी को उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी अभी हाल ही मे राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने दिनांक 11/01/2023 को ज्ञात हुई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के ताईद मे ग्राम परबीला की संवत् 2034 से 2037 की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, पुराना नामान्तरण संख्या 76 की जमाबंदी नकल एवं राजस्व ग्राम परबीला की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 प्रस्तुत कि गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज नामांतरण संख्या 76 ग्राम परबिला के अनुसार दिनांक 26/10/1977 को 5 बीघा जमीन आवंटित हुई थी जिसके बाद सवंत् 2034 से 2037 की जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम बहक गैर खातेदार दर्ज किया गया। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी संख्या 1624 रकबा 2.2600 हेक्टर भूमि में प्रार्थी की भूमि सम्मिलित कर दी गई। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम परबीला के अनुसार प्रश्नगत आराजीयत बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। प्रार्थी के प्रश्नगत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

आराजीयत पर कब्जे बाबत् कोई मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज सबूत अथवा खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नही किये जिससे साबित होता है कि प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर आवंटन के उपरान्त बदस्तुर कब्जा रहा है।

चूंकि पत्रावली मे तहसीलदार खेरवाडा की दो परस्पर विरोधी रिपोर्ट सलंग्न थी, न्यायहित में तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट मांगी गई तहसीलदार खेरवाडा की 18/11/2024 की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई भी बाड, चारदीवारी सम्बन्धी कब्जा एवं काश्त नही होना पाया गया एवं वर्तमान में प्रकरण से सम्बन्धि भूमि पर प्रार्थी का कोई सरोकार नही होकर भूमि राज्य सरकार की होकर राजस्व रिकॉर्ड मे भी सरकारी खाते मे दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा। जिस के कारण सेटलमेन्ट में उनका आवंन्टन खारीज कर जमीन बीलानाम गैर खातेदार दर्ज की। वर्तमान में विवादित आराजि हाल रिकार्ड अनुसार बिलानाम गैर काबित काश्त दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूश्ती खारिज किया जाता है।

निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड खेरवाडा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner